

कार्यालय-ज्ञाप

पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक, वेतनमान रू० 15600-39100 ग्रेड पे-7600 के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर निम्न अधिकारियों को संयुक्त निदेशक, वेतनमान रू० 15600-39100 ग्रेड पे-7600 में पदोन्नत किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. प्रोन्नत अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद/कार्यालय में तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम/पदनाम	प्रस्तावित तैनाती
1	डा० विनोद चन्द्र उप्रेती, पैथोलोजिस्ट, कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर	रोग अनुसंधान अधिकारी लैब, कोटद्वार
2	डा० बलभद्र सिंह यादव, उप निदेशक, सघन पशु विकास प्रायोजना, हल्द्वानी, नैनीताल	रोग अनुसंधान अधिकारी लैब, श्रीनगर गढ़वाल
3	डा० सुभाष चन्द्र नौटियाल, प्रायोजना अधिकारी, तरल नत्रजन एवं अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र श्यामपुर, देहरादून	संयुक्त निदेशक/समकक्ष, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून
4	डा० रविन्द्र चन्द्र, परियोजना निदेशक, अश्व एवं गदर्भ इकाई नरियाल प्रक्षेत्र, चम्पावत	परियोजना निदेशक, अश्व एवं गदर्भ इकाई नरियाल प्रक्षेत्र, चम्पावत
5	डा० जमन राम, पैथोलोजिस्ट, कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल	रोग अनुसंधान अधिकारी लैब, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर

3. उपरोक्त अधिकारियों को नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक, के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(विनोद फोनिया)
सचिव

क्रमशः-2

संख्या- 1148 (1)/XV-1/2010 तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
 2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
 3. निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
 5. सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड।
 6. सचिव, उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग।
 7. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू०एल०डी०बी०/यू०एस०डब्लू०डी०बी०, देहरादून।
 8. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, चम्पावत एवं उधमसिंहनगर।
 9. रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद।
 10. समस्त अपर निदेशक/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
 11. कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, चम्पावत एवं उधमसिंहनगर।
 12. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, रुड़की को राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु।
 13. संबंधित अधिकारी।
 14. अनुभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से
(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव